न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री भंवरलाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 16 / 2015 / (2015 / 00092) जिला–नागौर

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, नांवा जिला नागौर।

———अपीलार्थी

बनाम

1. सुरेश चन्द पुत्र रामेश्वर लाल
2. प्रभुदयाल पुत्र रामेश्वर लाल
3. अशोक कुमार पुत्र रामेश्वरलाल तीनो जाति नाई निवासी नांवा।
4. श्रीमती रूकमणी देवी धर्मपत्नी रामदेव लढ्ढा (माहेश्वरी) सदर बाजार नांवा।

————प्रत्यर्थीगण

———

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी नांवा दिनांक 16–5–2012
अन्तर्गत प्रकरण संख्या 39 / 2009
बउनवान सुरेश चन्द व अन्य बनाम रूकमणी देवी व अन्य

————

उपस्थित– 1. श्री आकाश पारीक , राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी
2. प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांकः– 14–03–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 ने उपखण्ड अधिकारी, नांवा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत किया जिसे उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–5–2012 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की अपील स्वीकार कर मौजा ग्राम नांवा के खसरा नम्बर 219 रकबा 6.64 हैक्टर की जगह राजस्व रेकार्ड में खसरा नम्बर 219 रकबा 7.65 हैक्टर संशोधन करने के आदेश के साथ ही नक्शे में मौका अनुसार 7.65 हैक्टर भूमि की तरमीम के आदेश पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नांवा के आदेश दिनांक 16–5–12 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील Sub–to-Limitation दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। प्रत्यर्थीगण अथवा उनके अभिभाषक बावजूद सूचना अनुपस्थित है जिनके विरूद्ध आदेशिका

दिनांक 24.02.2020 को एक तरफा कार्यवाही अमल में ली गई। अपीलार्थी की ओर से नियुक्त राजकीय विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा मियाद अधिनियम की धारा–5 पर अपीलार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए कथन किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में जिला कलक्टर, नागौर से मार्गदर्शन मांगा गया। जिला कलक्टर, नागौर ने पत्रांक प.9 (4/2003)/भू.अ./सां./मार्गदर्शन/2013/1118 दिनांक 14–2–13 के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त होने पर विधि सलाहकार से जानकारी होने के बाद अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अपीलार्थी तहसीलदार, नांवा द्वारा अपील विधि की भूल के कारण पूर्व में रेफरेन्स कर दिया गया था तत्पश्चात विधिसलाहकार से सलाह करने के बाद यह अपील जानकारी होने के पश्चात माननीय न्यायालय में अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब सद्भाविक कारणों के रहते हुआ है, इस कारण देरी को क्षमा किया जाकर प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने विद्वान राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी के मियाद के बिन्दु पर दिये गये तर्कों पर गौर किया एवं इसी संबंध में माननीय उच्च न्यायालय एवं राजस्व मण्डल द्वारा समय–समय पर प्रतिपादित सिद्धान्त के अनुसार प्रकरण की मेरिट पर विचार करना कानून एवं विधि की मांग होने से राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा बहस के दौरान मियाद अधिनियम की धारा–5 के तहत प्रस्तुत वास्तविक स्थिति के मध्येनजर प्रकरण प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

अपीलार्थी के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि मौजा नांवा के खसरा नम्बर 219 रकबा 6.64 हैक्टर मुताबिक चौसाला जमाबंदी श्री सुरेशचन्द, प्रभुदयाल, अशोक कुमार पिसरान रामेश्वरलाल नाई की खातेदारी में स्थित है। मिसल बन्दोबस्त 2046 से 2065 के अनुसार खसरा नम्बर 219 रकबा 6.64 हैक्टर दर्ज है तथा खसरा नम्बर 219 के गत खसरा नम्बर 477 का रकबा भी मिलान क्षैत्रफल में रकबा 6.64 हैक्टर बताया गया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नांवा का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नांवा द्वारा उक्त खसरा नम्बर 219 का रकबा 6.64 को बढ़ाकर 7.65 हैक्टर किये जाने का निर्णय पारित किया है परन्तु उक्त निर्णय में यह कहीं भी उल्लेख नहीं किया है कि कौनसे खसरे का रकबा कम किया गया है तथा किस खसरा नम्बर की तरमीम की जावे इससे पूरे ग्राम का रकबा 1.01 हैक्टर बढ़ जाता है। इस परिप्रेक्ष्य में आक्षेपित निर्णय की क्रियान्विति किया जाना संभव नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय को राजकीय पैरोकार नायब तहसीलदार के जवाब में भी खसरा नम्बर 219 का रकबा बढ़ाया जाना संभव नहीं होने बाबत जवाब प्रस्तुत किये जाने के बावजूद उक्त तथ्य को नजरअन्दाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है। अतः अपीलार्थी तहसीलदार, नांवा द्वारा की गई अपील स्वीकार कर अधीनस्थ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नांवा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–5–2012 निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैंने राजकीय अधिवक्ता द्वारा की गई एकपक्षीय सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नांवा द्वारा ग्राम नांवा के खसरा नम्बर 219 रकबा 6.64 हैक्टर की जगह राजस्व रेकार्ड में खसरा नम्बर 219 रकबा 7.65 हैक्टर संशोधन करने के आदेश के साथ ही नक्शे में मौका अनुसार 7.65 हक्टर भूमि की तरमीम के आदेश पारित कर दिये जबकि पैरोकार सरकार, नायब तहसीलदार, नांवा ने अपनी रिपोर्ट में अंकन किया है कि ग्राम नांवा के खसरा नम्बर 219 रकबा 6.64 हैक्टर है साबिक खसरा नम्बर 477 रकबा 6.64 हैक्टर मुताबिक मिलान क्षैत्रफल बनाया गया है खसरा नम्बर 477 का शेष रकबा किस नम्बर में गया है वादी द्वारा नहीं बताया गया है। इसके अभाव में खसरा नम्बर 219 का रकबा वृद्धि किया जाना संभव नहीं है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि मिलान क्षैत्रफल अनुसार गत खसरा नम्बर 477 रकबा 6.64 हैक्टर व वर्तमान खसरा नम्बर 219 रकबा 6.64 हैक्टर का ही अंकन किया हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहीं उल्लेख नहीं किया है कि किस खसरा नम्बर में से रकबा कम किया जावे एवं किस खसरा नम्बर में रकबा जोड़ा जावे। साथ ही भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत एक सीमित क्षैत्राधिकार सक्षम अधिकारी को दिये गये है जिसके अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड में हुई लिपीकीय त्रुटि जो कि दोनों पक्ष की सहमति से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दुरूस्त करवाई जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थीगण की खातेदारी की आराजियात खसरा नम्बर 219 में रकबा 6.64 हैक्टर के स्थान पर 7.65 हैक्टर भूमि की राजस्व रेकार्ड एवं नक्शे तरमीम करने के त्रूटिपूर्ण आदेश पारित किये है जबकि धारा–136 में लिपिकीय त्रुटि को ही दुरूस्त किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नांवा द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 16–5–2012 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विशलेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी,) नांवा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16–05–2012 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 39/2009 बउनवान सुरेशचन्द व अन्य बनाम श्रीमती रूकमणी व अन्य त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है और प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, नांवा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी तहसीलदार, नांवा द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मौका रिपोर्ट की गहनता से जांच कर दोनों पक्षों की विधिवत सुनवाई कर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर